भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 956

दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का मूल्यांकन

956. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का यह दावा है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 67,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन से ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत घरेलू नल जल कवरेज हासिल हो जाएगा, जबकि कई राज्यों में कनेक्शनों के चालू न होने, स्रोतों के सूखने और खराब सेवा प्रदायगी की बार-बार खबरें आ रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि संचालन और रखरखाव पर अपर्याप्त ध्यान, कमजोर जल गुणवत्ता निगरानी और धूसर जल प्रबंधन की उपेक्षा ने जेजेएम के तहत कई योजनाओं को असंवहनीय बना दिया है और यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो जमीनी स्तर पर निरंतर विफलताओं के क्या कारण हैं,

(ग) क्या जेजेएम के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण घरों में अनियमित, कम दबाव या दूषित जल की आपूर्ति होती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सेवा गुणवत्ता का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल की व्यवस्था की जा सके।

जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी।

अब तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 12.59 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.01.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ (81.57%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

मिशन का कुल अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था। स्वीकृत केंद्रीय परिव्यय का 2024-25 तक उपयोग लगभग किया जा चुका है। इसके अलावा, अब तक हासिल की गई प्रगति और जारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं 2025-26 में जल जीवन मिशन को कुल संवर्धित परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 विस्तार दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जेजेएम के लिए 67,000 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्रीय बजट में किया गया था।

(ग) और (घ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। राज्यों ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में दुर्लभ भरोसेमंद जल स्रोतों, भू-गर्भीय संदूषण, दुर्गम इलाके, अलग-थलग बसी हुई बसावटें, सीमित तकनीकी क्षमता, बढ़ती सामग्री लागत और सांविधिक मंजूरी में देरी आदि जैसी चुनौतियों की सूचना दी है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता, त्वरित मंजूरी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, एसपीएमयू, डीपीएमयू की स्थापना और स्थानीय तकनीकी कौशल का सुदृढ़ीकरण करने के लिए नल जल मित्र कार्यक्रम जैसे उपाय शुरू किए। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान की पहल: कैच द रेन दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्रोत स्थिरता, समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और महिलाओं के नेतृत्व को और बढ़ावा देती है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से जेजेएम के तहत प्रदान किए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आकलन करता है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 761 जिलों के 2,37,608 परिवारों को शामिल करते हुए 19,812 हर घर जल (एचजीजे) गांवों में कार्यशीलता मूल्यांकन 2024 आयोजित किया गया था। यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन उपलब्ध थे। इनमें से 86.5% परिवारों के पास कार्यरत नल कनेक्शन थे, 80.2% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा था, 83.6% परिवारों को उनकी पाइपगत जलापूर्ति योजना के लिए जलापूर्ति की अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त था और 76% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। कार्यशीलता मूल्यांकन 2024 की विस्तृत राष्ट्रीय और राज्य-वार रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है और इसे https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-report-2024 पर देखा जा सकता है।

***